

Order Sheet [Contd]

Case No 18 / 2016 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.12.2016	<p>आवेदक/आरोपी रमेश सिंह तोमर की ओर से श्री तेजपालसिंह तोमर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 133/15 धारा 363, 365, 368 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री ए0के0गुप्ता के न्यायालय से प्र0कं0 700850/16 इ0फो0 प्राप्त हुआ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा उसके विरुद्ध फरियादी के द्वारा दिनांक 05.11.2015 को फरियादी सुरेश के द्वारा अपने पुत्र सौरभ के अपहरण की अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जबकि घटना के समय आवेदक स्पार्कल मेटल फिनिसिंग केमिकल्स प्रा. लि. मालनपुर में ड्यूटी पर मौजूद था। दिनांक 16.08.2015 को फरियादी सुरेश सिंह व उसकी पत्नी व अन्य के द्वारा आवेदक के पुत्र बबूल, करू, भूरा की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट आवेदक/आरोपी के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में की ई थी। उक्त प्रकरण पर से वर्तमान फरियादी सुरेशसिंह आवेदक/आरोपी से रंजिश रखने लगा और उस प्रकरण में राजीनामा करने की धोंश देने लगा, जबकि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में पेश हो चुका है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया अभिलेख का अवलोकन</p>	

किया गया । फरियादी सुरेश सिंह तोमर के द्वारा दिनांक 5-11-15 को थाना एण्डोरी में इस आशय की रिपोर्ट करायी गयी है कि उसका नावालिग लडका जो कि 14 साल की उम्र का है और कक्षा 8 में पढता है कोचिंग पढने के लिये सुबह 7 बजे बकनासा गांव में गया था । वह घर वापिस नहीं आया तो कोचिंग में पढने वाले अन्य बच्चों से पूछा तो उसका कोई पता नहीं चला । इस संबंध में रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना एण्डोरी में लिखायी गयी जिसके कारण धारा 363 भा0द0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया । दिनांक 3-3-16 को व्यपहरित को उसके घर के सामने छोड गये । उसकी दस्तयावी की गयी एवं उससे पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा आरोपी के मोटरसायकिल में उसे बिठाकर ले जाने और उसके मुंह पर कपडा डालकर उसे बेहोश करने और उसे एक कमरे में जो कि एक सून सान स्थान था में लेजाकर रखे जाना बताया गया । विवेचना के पश्चात् पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 363,365,368 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि रंजिश के कारण झूठे आधारों पर उसे घटना में लिप्त किया गया है । प्रकरण में अभियोगपत्र न्यायालय में पेश हो चुका है । आरोपी दिनांक 16-12-16 से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध की गयी है । व्यपहरित के घर के आने के पश्चात् उसे तुरन्त पुलिस के पास नहीं लाया गया बल्कि दो दिन बाद उसे पुलिस के पास लाया गया है । व्यपहरित के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य इस बिन्दु पर नहीं है । प्रकरण में अभियोगपत्र न्यायालय में पेश हो चुका है । आरोपी दिनांक 16-12-16 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

विचारोपरान्त प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आरोपी की ओर से 40000/-चालीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पेश किये जाने पर इस निर्देश के साथ कि वह प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड
वापिस हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

प्रकरण में दिनांक 5-3-16 को पीडित नावालिग की दस्तयाव हुआ ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे ।

(डी०सी०थपलियाल)
ए.एस.जे. गोहद